संख्या 1373/68-5-2022-66/2022

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5, लखनऊ दिनांकः 12 जुलाई, 2022

विषयः **'ऑपरेशन विद्यालय कायाकल्प' के अन्तर्गत प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों को सामाजिक अथवा व्यक्तिगत सहयोग के माध्यम से कायाकल्प किये जाने हेतु *" कायाकल्प विद्यांजलि पोर्टल"* के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

कृपया अवगत कराना है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत प्रदेश के 6-14 आयु वर्ग के 1.88 करोड़ बच्चों को बेहतर शैक्षणिक परिवेश में गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ 1.33 लाख परिषदीय विद्यालयों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा का रूचिकर एवं प्रभावी होना अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए विद्यालय भवनों का वातावरण आकर्षक होने के साथ-साथ बाल अनुकूल सुविधाओं के साथ आच्छादित होना अत्यन्त आवश्यक है। इसी सोच के साथ **जून, 2018 में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प का शुभारम्भ किया गया है।** शासन के इस अत्यन्त महत्वाकांक्षी कार्यक्रम **ऑपरेशन विद्यालय कायाकल्प** के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों को बाल मैत्रिक एवं दिव्यांग सुलभ संरचना के साथ कायाकल्प किये जाने के उद्देश्य से विभिन्न अनुमन्य वित्तीय स्रोतों यथा-*ग्राम पंचायत निधि, समग्र शिक्षा, कम्पोजिट स्कूल ग्रांट, जल जीवन मिशन, मनरेगा, अवस्थापना विकास निधि, जिला खनिज निधि, स्मार्ट सिटी फण्ड, नगर निगम/निकाय/प्राधिकरण में मौजूद निधि* इत्यादि का सदुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न शासनादेश एवं दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- यद्यपि विगत वर्षों में प्रदेश के समस्त जनपदों द्वारा ऑपरेशन विद्यालय कायाकल्प के अन्तर्गत प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों को चिन्हित 19 अवस्थापना सुविधाओं के साथ-साथ अन्य आधुनिक अवस्थापना सुविधाओं से भी सुसज्जित करते हुये अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की गयी है परन्तु अभी भी प्रदेश के इन परिषदीय विद्यालयों को और अधिक साधन सम्पन्न किये जाने की आवश्यकता है। तत्सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 के शासनादेश दिनांक **25 अप्रैल, 2022 (छायाप्रति संलग्न)** के द्वारा मा0 सांसद/मंत्री/विधायक एवं सम्मानित जन-प्रतिनिधियों के साथ-साथ सभी राजपत्रित अधिकारियों को भी परिषदीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु गोद लिये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

3- उत्तर प्रदेश से अत्यधिक बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण परिवेश से निकलकर देश एवं विदेश के विभिन्न शहरों में प्रतिष्ठित पदों पर कार्यरत है अथवा अन्य व्यवसाय कर रहे हैं। ग्राम में निवासरत व अन्य शहरों में पलायन कर चुके सुविधा सम्पन्न लोग अपने गाँव एवं क्षेत्र के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं परन्तु कोई सुव्यवस्थित प्लेटफार्म उपलब्ध न होने की वजह से वांछित सहयोग एवं योगदान प्रदान नहीं कर पाते हैं।

4- यह भी उल्लेखनीय है कि बेसिक शिक्षा विभाग के यह परिषदीय विद्यालय भवन किसी भी ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के महत्वपूर्ण भवनों में से एक हैं, जो कि बेसिक शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण संतृप्त नहीं हो पा रहे हैं। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि इन परिषदीय विद्यालयों को अनुमन्य शासकीय वित्तीय स्रोतों से कायाकल्प किये जाने के साथ-साथ *कारपोरेट सोशल रिस्पोन्सिबिलिटी, सामुदायिक सहयोग, प्रतिष्ठित/विशिष्ट/इच्छुक व्यक्तियों, विद्यालय के पूर्व एल्युमिनाई इत्यादि द्वारा दान, आर्थिक सहयोग इत्यादि* माध्यमों से भी कायाकल्प किये जाने की ओर रणनीति बनायी जाय।

Scanned with CamSc

5— बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित किसी भी ग्रामीण अथवा शहरी परिषदीय विद्यालयों के विकास हेतु निम्नलिखित माध्यमों से सहयोग प्रदान किया जा सकेगा :—

(1) <u>सम्पूर्ण विद्यालय को गोद लेकर(By Adopting a School)</u> :—उपरोक्त के क्रम में किसी व्यक्ति विशेष अथवा संस्था द्वारा प्रदेश के किसी भी ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय विद्यालय को गोद लिया जा सकता है। विद्यालयों को गोद लेने के दौरान सम्बन्धित संस्था/व्यक्ति विद्यालय में समस्त आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं के विकास, उच्चीकरण, आधुनीकिकरण एवं बच्चों के लिए आवश्यक मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के समग्र विकास के लिए आगामी 03 वर्षों हेतु प्रतिबद्ध होंगे एवं उस विद्यालय में पढ़ रहे प्रत्येक बच्चें के बेहतर भविष्य के लिए अपना अमूल्य योगदान प्रदान करेंगे।

(2) <u>विद्यालय विकास कोष में दान देकर (Donation to school development Fund)</u>:—प्रदेश सरकार के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा अपना अमूल्य वित्तीय सहयोग प्रदान करने हेतु जनपद स्तर पर संरक्षित एकीकृत कोष के अन्तर्गत अनुदान उपलब्ध कराते हुये विद्यालयों में कराये जा रहे विकास कार्यों में सहयोगी बना जा सकता है। दानकर्ता द्वारा कोई भी धनराशि उक्त कोष में दान स्वरूप उपलब्ध करायी जा सकेगी एवं जनपद स्तर से उक्त धनराशि से जनपद के किसी भी विद्यालय में अवस्थापना सुविधाओं के विकास कार्य को क्रियान्वित किया जा सकेगा।

(3) <u>विद्यालय के लिए दान देकर (Donation to a specific School)</u> :—दानकर्ता द्वारा किसी भी शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय विद्यालय का चुनाव करते हुये विद्यालय में असंतृप्त मूलभत अवस्थापना सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। उक्त अवस्थापना सुविधाएं यदि किन्हीं कारणों से उपलब्ध नहीं है, अक्रियाशील है अथवा उनके उच्चीकरण की आवश्यकता है, उन्हें बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित डिजाइन एवं मानकों के अनुरूप पुनः निर्मित कराते हुये विद्यालय के शैक्षणिक परिवेश को आकर्षक बनाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के साथ विद्यालय में आधुनिक अवस्थापना सुविधाओं जैसे कि आर0ओ0 वॉटर प्लान्ट, इन्वर्टर, स्मार्ट क्लास, कम्प्यूटर, विद्युत इन्सनीरेटर, प्रोजेक्टर इत्यादि से आच्छादित किया जा सकेगा।

(4) <u>अध्ययन् सामग्री दान देकर (By donating School's supplies)</u> :—यद्यपि प्रदेश के समस्त छात्र—छात्राओं को प्रदेश सरकार द्वारा डी0बी0टी0 के माध्यम से स्कूल ड्रेस, जूता—मोजा उपलब्ध कराया जा रहा है एवं प्रतिवर्ष अनुमन्य पाठ्यक्रम के अनुरूप पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क वितरित की जाती है। परन्तु इन बच्चों को किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा विभिन्न अध्ययन् सामग्रियों यथा—नोट बुक, क्राफ्ट बुक, पैन, पेन्सिल, कलर, स्टेशनरी, स्काउट ड्रेस, कम्प्यूटर उपकरण, विद्युत उपकरण, फर्नीचर (डेस्क—बेंच), स्मार्ट क्लास आदि उपलब्ध कराते हुये सहयोग प्रदान किया जा सकता है।

(5) <u>विद्यालय में पथ प्रदर्शक बनकर (Become a Mentor in School)</u> :—शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी अनुभवी व्यक्ति अथवा संस्था द्वाराविद्यालय में बच्चों के साफ्ट स्किल्स, बेहतर भविष्य एवं बच्चों के क्षमता संवर्द्धन को विकसित किये जाने हेतु अपने शैक्षणिक ज्ञान, अनुभव और समय उपलब्ध कराकर अपना योगदान किया जा सकता है। इसके अन्तर्गत विद्यालयों में विभिन्न विषयों यथा—गणित, विज्ञान, अंग्रेजी के साथ—साथ आत्मरक्षा, सांस्कृतिक नृत्य/वाद्ययंत्र, क्राफ्ट अथवा शिल्पकला इत्यादि के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी से अनुमति के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

6— विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित व्यक्ति अथवा संस्थाओं द्वारा सहयोग प्रदान किया जा सकेगा :—

1. भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिक रूप से पंजीकृत संस्था/ट्रस्ट/एन0जी0ओ0/स्वयं सेवी द्वारा।
2. विद्यालय में पूर्व में पढ़ चुके विद्यार्थी (एल्यूमिनाई) अथवा विद्यार्थी के परिवार के द्वारा।
3. समाज के किसी भी व्यक्ति विशेष/उद्यमी/व्यवसायी इत्यादि द्वारा स्वैच्छिक सहयोग के द्वारा।

Scanned with CamSc

4. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्थाओं/औद्योगिक प्रतिष्ठानों के द्वारा सी0एस0आर0 के अन्तर्गत।

7— उक्त अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने एवं सहयोग प्रणाली को सुगम बनाये जाने हेतु एक इन्टीग्रेटेड पोर्टल का विकास *" कायाकल्प विद्यांजलि पोर्टल"* के नाम से किया जायेगा, जिसके माध्यम से सम्बन्धित व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा विद्यालय को कायाकल्पित एवं मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु अपनी क्षमता के अनुसार विकल्पों का चयन करते हुये दान/आर्थिक सहयोग हेतु लॉगिन करते हुये ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा, जिसके संदर्भ में उसे एक टोकन नम्बर एवं आभार पत्र (एकनॉलेजमेन्ट लेटर) भी प्राप्त होगा।

8— बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 के शासनादेश संख्या–01/2019/2019/68–5–2019, **दिनांक 03 दिसम्बर, 2019 (छायाप्रति संलग्न)** के प्रस्तर–4 के अनुसार ही किसी भी व्यक्ति/संस्था द्वारा दान स्वरूप किये गये निर्माण कार्य के पश्चात् इच्छानुसार एक शिलालेख (अधिकतम 2 फिट/3 फिट के आकार का) को स्थापित किया जा सकेगा।

9— दान/सामुदायिक सहयोग से निर्मित की जा सकने वाली प्रस्तावित अवस्थापना सुविधाएं :–

i. सुरक्षित एवं समुचित पेयजल की व्यवस्था।
   - **a.** सबमर्सिबल पम्प/मोटर पम्प के साथ टंकी एवं टोंटी की स्थापना।
   - **b.** हैण्डपम्प/मोटर पम्प के साथ टंकी एवं टोंटी की स्थापना।

ii. आर0ओ0 प्लान्ट एवं वॉटर कूलर की स्थापना।

iii. बालक–बालिकाओं के लिए टाइल्सयुक्त एवं नल–जल सुविधा के साथ पृथक शौचालय अथवा मूत्रालय का निर्माण/जीर्णोद्धार।

iv. दिव्यांग सुलभ शौचालय का निर्माण/जीर्णोद्धार।

v. मल्टीपल हैण्डवाशिंग यूनिट का निर्माण/जीर्णोद्धार।

vi. नल–जल सुविधा के साथ टाइल्सयुक्त रसोईघर का निर्माण/जीर्णोद्धार।

vii. बच्चों को सम्मानपूर्वक भोजन ग्रहण करने हेतु मिड–डे–मील शेड अथवा डाइनिंग हॉल।

viii. बच्चों की उम्र एवं कक्षावर्ग के अनुरूप फर्नीचर (डेस्क–बेंच) की उपलब्धता।

ix. बच्चों को आधुनिक रूप से पठन–पाठन हेतु स्मार्ट क्लास/प्रोजेक्टर/स्मार्ट बोर्ड की स्थापना।

x. कक्षाकक्ष की फर्श का टाइलीकरण।

xi. कक्षाकक्ष की फर्श में मार्बल/संगमरमर पत्थर लगाया जाना।

xii. मानकानुसार विद्यालय की रंगाई–पुताई।

xiii. मानकानुसार विद्यालय एवं कक्षाकक्षों में इण्टरनल वायरिंग, विद्युत उपकरण (फैन एवं लाइट) की व्यवस्था।

xiv. विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण/जीर्णोद्धार।

xv. विद्यालय में पुस्तकालय का निर्माण/जीर्णोद्धार।

xvi. विद्यालय में निर्मित विज्ञान प्रयोगशाला हेतु विद्यालय की आवश्यकतानुसार उपकरणों यथा–माइक्रोस्कोप, विज्ञान के मॉडल इत्यादि की आपूर्ति।

xvii. विद्यालय में निर्मित पुस्तकालय हेतु विद्यालय की आवश्यकतानुसार पुस्तकों की आपूर्ति के साथ रीडिंग कॉर्नर का निर्माण।

xviii. विद्यालय में कम्प्यूटर लैब का निर्माण।

xix. विद्यालय में कम्प्यूटर लैब में कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरणों यथा–प्रिंटर, इण्टरनेट कनेक्शन इत्यादि की स्थापना।

xx. विद्यालय में ओपेन जिम की स्थापना।

xxi. विद्यालय के प्रांगण में बच्चों के खेलने हेतु झूले/स्लाइडर आदि की स्थापना।

xxii. विद्यालय परिसर में चहारदीवारी का निर्माण/जीर्णोद्धार।

xxiii. विद्यालय परिसर में मुख्य द्वार का निर्माण/जीर्णोद्धार।

xxiv. अतिरिक्त कक्षा–कक्ष का निर्माण

xxv. सोलर एनर्जी, स्ट्रीट लाइट, सोलर आर0ओ0 प्लान्ट की स्थापना।

xxvi. अग्नि शमन यन्त्रों की स्थापना।

Scanned with CamSc

xxvii. अन्य विद्यालय विकास/आधुनिकीकरण सम्बन्धी अवस्थापना सुविधाएं अथवा उपकरण।

10– उक्त योजना का अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध में राज्य स्तर से समय-समय पर यथोचित दिशा-निर्देश राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा द्वारा दिये जायेंगे। जनपद स्तर पर उक्त योजना का क्रियान्वयन **जिलाधिकारी की अध्यक्षता** में गठित निम्नवत् समिति द्वारा किया जायेगाः–

I.	मुख्य विकास अधिकारी	–	उपाध्यक्ष।
II.	नगर आयुक्त, नगर निगम/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका	–	सदस्य।
III.	वरिष्ठ कोषाधिकारी	–	सदस्य।
IV.	जिला विद्यालय निरीक्षक	–	सदस्य।
V.	जिला पंचायत राज अधिकारी	–	सदस्य।
VI.	जिला सूचना अधिकारी	–	सदस्य।
VII.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	–	सदस्य-सचिव।

11– कायाकल्प विद्यांजलि पोर्टल द्वारा प्राप्त वित्तीय धनराशि को जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता/निगरानी में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 के अन्तर्गत पंजीकृत सोसाइटी के अन्तर्गत खुलवाये गये पृथक राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में प्राप्त किया जा सकेगा, जिसका संचालन मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। उक्त खाते के अन्तर्गत व्यय की जाने वाली समस्त धनराशि का उपभोग जनपद स्तर पर गठित उक्त समिति द्वारा समस्त वित्तीय नियमावलियों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

12– दान की राशि जमा करवाने के 30 दिनों के अन्दर सम्बन्धित कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति की कार्यवाही सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त गठित समिति के अनुमोदनोपरान्त सम्पन्न करायी जायेगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्य की प्रगति की रिपोर्ट जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराते हुये कायाकल्प विद्यांजलि पोर्टल पर भी अपलोड करायी जायेगी।

13– समस्त प्रकार की दान संबंधी धनराशि को कायाकल्प विद्यांजलि पोर्टल के माध्यम से ही जमा की जायेगी। दानदाताओं के साथ सीधा सम्पर्क करने और अनुरोध व समस्याओं के निवारण के लिए एक कॉल सेण्टर का प्रयोग किया जायेगा। इस कॉल सेण्टर के मैनपॉवर और इन्फ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय में पृथक से की जायेगी। योजना के प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न सोशल मीडिया, प्रिन्ट मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा वृहद् प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जायेगा।

14– दानकर्ता द्वारा परिषदीय विद्यालय को अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु भौतिक रूप से स्वयं निर्मित/स्थापित कराते हुये पूर्ण किया जा सकेगा। यदि व्यक्ति/संस्था स्वयं किसी अवस्थापना सुविधा का निर्माण/स्थापना कराना चाहता है तो उसे समग्र शिक्षा द्वारा विकसित किये गये ड्राइंग/डिजाइन एवं मानक के आधार पर अथवा उससे उच्चीकृत मानक के अनुसार ही निर्माण कराना होगा।

15– इस योजना के अन्तर्गत दानकर्ता की इच्छा के अनुसार उसकी पसंद की एजेन्सी के माध्यम से कार्य कराया जाएगा। दानकर्ता की पसंद की एजेन्सी द्वारा दिये गये कार्य के नक्शे और डी0पी0आर0 आदि को उक्त प्रयोजन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी के अनुमोदनोपरान्त स्वीकृत किया जाएगा। कार्य पूर्ण होने के बाद एजेन्सी को नियमों के अनुसार भुगतान करना होगा। दानकर्ता स्वयं भी कार्य करवा सकते हैं, परन्तु ऐसे मामले में सक्षम स्तर से डी0पी0आर0 अनुमोदित होगी व भुगतान सीधा वेण्डर्स को किया जाएगा। ऐसे कार्य जिनका क्रियान्वयन किसी भी विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है तो उन पर तकनीकी स्वीकृति हेतु राज्य स्तर पर सेवानिवृत्त अभियंताओं व एक्सपर्ट्स का एक पैनल बनाया जा सकता है, जिसके माध्यम से इन परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो सकेगी। दानदाता निविदा समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल होंगे।

Scanned with CamScanner

16– सम्बन्धित अध्यापक/शिक्षा मित्र सम्बन्धित दानदाताओं से सम्पर्क करके उन्हें इस योजना की जानकारी दे सकेंगें और विद्यालय के विकास के लिए आवश्यक कार्यों का विवरण उपलब्ध करा सकेंगे।

17– खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के लिए निर्धारित किये गये कार्यों की प्रगति की अद्यतन स्थिति, फोटो के साथ वेब पोर्टल के माध्यम से दानदाताओं को समय–समय पर सूचना प्रदान की जायेगी।

18– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार 'ऑपरेशन विद्यालय कायाकल्प' के अन्तर्गत प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों को सामाजिक अथवा व्यक्तिगत सहयोग के माध्यम से कायाकल्प किये जाने हेतु ***"कायाकल्प विद्यांजलि पोर्टल"*** के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 1373(1)/68–5–2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
5. शिक्षा निदेशक(बेसिक), बेसिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
7. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
9. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0।
10. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
11. खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखण्ड, समस्त जनपद, उ0प्र0।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0वी0सिंह)
विशेष सचिव।

Ashok Singh-Letter-1595

Scanned with CamSc

16– सम्बन्धित अध्यापक/शिक्षा मित्र सम्बन्धित दानदाताओं से सम्पर्क करके उन्हें इस योजना की जानकारी दे सकेंगें और विद्यालय के विकास के लिए आवश्यक कार्यों का विवरण उपलब्ध करा सकेंगे।

17– खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के लिए निर्धारित किये गये कार्यों की प्रगति की अद्यतन स्थिति, फोटो के साथ वेब पोर्टल के माध्यम से दानदाताओं को समय–समय पर सूचना प्रदान की जायेगी।

18– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार 'ऑपरेशन विद्यालय कायाकल्प' के अन्तर्गत प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों को सामाजिक अथवा व्यक्तिगत सहयोग के माध्यम से कायाकल्प किये जाने हेतु *"कायाकल्प विद्यांजलि पोर्टल"* के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 1373(1)/68–5–2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
5. शिक्षा निदेशक(बेसिक), बेसिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
7. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
9. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0।
10. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
11. खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखण्ड, समस्त जनपद, उ0प्र0।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0वी0सिंह)
विशेष सचिव।

Scanned with CamSc

File No.68-5099/2/2 22--5 ( )-

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा विभाग–5 लखनऊः दिनांकः 25 अप्रैल, 2022

विषयः 'स्कूल चलो अभियान 2022' के सन्दर्भ में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–676/68–5–2022–497/18 TC दिनांक 31.03.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें। आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के अधिकाधिक नामांकन को प्रोत्साहन देने तथा इनका शत–प्रतिशत नामांकन कराने के उद्देश्य से 'स्कूल चलो अभियान' कार्यक्रम का शुभारम्भ दिनांक 04.04.2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश द्वारा जनपद श्रावस्ती से किया गया था। अन्य सभी जनपदों में भी माननीय सांसद, माननीय मंत्री, माननीय विधायक एवं सम्मानित जन–प्रतिनिधियों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया था। उक्त अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा माननीय सांसद, माननीय मंत्री, माननीय विधायक एवं सम्मानित जन–प्रतिनिधियों से परिषदीय विद्यालयों को गोद लिये जाने की अपेक्षा की गयी थी।

आप अवगत हैं कि विगत वर्षों में 'ऑपरेशन कायाकल्प' के अन्तर्गत परिषदीय विद्यालयों में अन्तर–विभागीय समन्वय से विभिन्न मानकों पर विद्यालयों के संतृप्तीकरण का कार्य करते हुए विद्यालयों के परिवेश को अत्यन्त आकर्षक बनाया जा रहा है। आपसे अपेक्षा है कि उपर्युक्त 'ऑपरेशन कायाकल्प' के माध्यम से परिषदीय विद्यालयों को विभिन्न मानकों पर संतृप्तीकरण के कार्य को अधिक गति देते हुए प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाए। साथ ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/मण्डली सहायक शिक्षा निदेशकों के साथ इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाए।

इस क्रम में आपसे यह भी अपेक्षा है कि आप स्वयं तथा अपने अधीनस्थ सभी राजपत्रित अधिकारियों को भी परिषदीय विद्यालयों को गोद लेने हेतु प्रोत्साहन करें, जिससे उनका योगदान 'ऑपरेशन कायाकल्प' को प्राप्त हो तथा विद्यालयों के स्वरूप–परिवेश में

Scanned with CamSc

परिवर्तन परिलक्षित हो। इसके प्रकार गोद लिये गये विद्यालयों में विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के सृजन तथा विकास हेतु अपेक्षित सहयोग कर विद्यालयों के परिवेश को आकर्षक बनाया जाए। जिलाधिकारी जनपदों तथा तहसील/विकास खण्ड स्तर पर गोद लिये गये विद्यालयों की सूचना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त कर शासन को भी उपलब्ध करायें।

भवदीय,
Signed by दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 24-04-2022 14:00:48
Reason: Approved
(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

सं0–816(1)/68–5–2022–497/18टी0सी0 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध से प्रेषित कि अपने विभाग में सचिवालय, निदेशालय/आयुक्त कार्यालय में कार्यरत सभी राजपत्रित अधिकारियों को प्रोत्साहित करें कि हर एक अधिकारी किसी–न–किसी प्राथमिक विद्यालय को गोद लेकर वहाँ की अवस्थापना सुविधा में 'ऑपरेशन कायाकल्प' के माध्यम से सुधार करायें। साथ ही साथ विद्यालय के स्टाफ से सीधा समन्वय/संवाद स्थापित कर शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार हेतु अपना योगदान दें।
2. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त के अनुपालन में गोद लिये गये विद्यालयों की संकलित सूची प्रत्येक 15 दिन में मुख्य सचिव महोदय की अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।

आज्ञा से,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

Scanned with CamSc

01/2019/
संख्या– 2019 /68–5–2019

प्रेषक,

रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2–शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–5
लखनऊः दिनांकः 03 दिसम्बर 2019

विषय :– उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों के विकास हेतु उसे गोद लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या–112/68–2–2019–200(48)/2018 दिनांक 05.02.2019 द्वारा प्रदेश में बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में लोकोपकार योगदान हेतु इच्छुक संगठन/संस्थाओं के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये गये है। शासनादेश में संस्थाओं द्वारा सहयोग प्रदान किये जाने वाले दोनों कार्यक्षेत्र यथा–कन्सल्टेन्सी/सेवायें/ज्ञान सम्बन्धी योगदान/प्रशिक्षण आदि एवं अवस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था किये जाने इत्यादि के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये है। सहयोग के लिये इच्छुक संस्था/संगठन द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर निर्णय लेने हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। जनपद स्तरीय समिति की संस्तुति पर कार्यवाही हेतु शिक्षा निदेशक बेसिक की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। संस्था की अर्हता एवं योग्यता के सम्बन्ध में भी दिशा–निर्देश इंगित किये गये है।

3– शिक्षा निदेशक बेसिक द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि अनेक ट्रस्ट,संस्था, व्यक्ति और मा0 जनप्रतिनिधिगण द्वारा विद्यालय के विकास/जीर्णोद्धार/अवस्थापना सुविधाओं के विकास इत्यादि के लिये विद्यालयों को मरम्मत/जीर्णोद्धार हेतु उन्हें गोद लिये जाने के सम्बन्ध में अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। शिक्षा निदेशक बेसिक द्वारा प्रकरण में शासन स्तर से निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

4– इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों के विकास हेतु ट्रस्ट,संस्था, व्यक्ति और मा0 जनप्रतिनिधिगण द्वारा गोद लिये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेः–

(1) विद्यालय के नाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा, अर्थात विद्यालय का नाम यथावत रहेगा।

(2) विद्यालय के जीर्णोद्धार के उपरान्त विद्यालय के कक्षा कक्ष की नाप निर्धारित मानक के अनुरुप होगी। विद्यालय का जीर्णोद्धार जिनकी स्मृति में कराया जा रहा है, उनके नाम का उल्लेख अलग शिला पट्टिका पर कक्षा–कक्षों के बाहर एवं विद्यालय परिसर के अन्दर किया जा सकेगा। जिसमें विद्यालय में निर्मित कराये गये नवीन कक्षा–कक्ष का नाम स्मृति शेष प्रियजन के नाम पर "सौजन्य से" करते हुये रखा जा सकता है। जैसे किसी ने कक्षा–कक्ष या लाइब्रेरी का निर्माण कराया तो शिला पट्ट पर सौजन्य से..... का नाम अंकित किया जायेगा। विद्यालय के नाम में कदापि परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(3) जीर्णोद्धार के उपरान्त विद्यालय की परिसम्पत्तियों का स्वामित्व पूर्णतः शिक्षा विभाग का पूर्ववत बना रहेगा।

(4) जीर्णोद्धार के उपरान्त उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा पदस्थापित अध्यापक/शिक्षा मित्र कार्यरत रहेंगे। उनकी नियुक्ति, स्थानान्तरण, पदस्थापन, पदोन्नति एवं अन्य सम्बन्धित समस्त कार्य पूर्व की भाँति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन रहेंगें।

Paj-Letter-1505.doc

Scanned with CamSc

(5) जीर्णोद्धार के उपरान्त विद्यालय में विभाग द्वारा अनुमन्य पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जायेगा तथा विभागीय योजनाओं व कार्यक्रमों को शासन/विभाग के निर्देशों के अनुरूप ही संचालित किये जाने में किसी भी प्रकार व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा।

(6) जीर्णोद्धार के उपरान्त विद्यालय के किसी भी भाग को किसी भी व्यावसायिक उद्देश्य से उपयोग में नहीं लाया जायेगा और न ही ऐसी कोई योजना अथवा कार्य किया जायेगा, जिससे विद्यालय का मूल स्वरूप प्रभावित हो और बच्चों के पठन–पाठन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। गोद लेने वाला ट्रस्ट,संस्था, व्यक्ति और मा0 जनप्रतिनिधिगण विद्यालय भवन/परिसर का प्रयोग किसी भी दशा में अन्य किसी भी प्रयोजन हेतु नहीं कर सकेंगे।

(7) भवन परिसर, शौचालय, कक्षा–कक्ष, बरामदा, चहार दीवारी, विद्युत वायरिंग, पंखा, लाइट, डेस्क–बेंच, कुर्सी उपकरण खेल कूद का सामान, ब्लाक बोर्ड, डिजिटल लेब छात्र–छात्राओं हेतु तथा शिक्षकों हेतु फर्नीचर, अलमारी, स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी, पेयजल आदि की व्यवस्था एवं विद्यालय के जीर्णोद्धार की व्यवस्था नियमों के आलोक में संस्था द्वारा की जायेगी तथा उनकी गुणवत्ता उच्च कोटि की होनी चाहिए। उसका स्वामित्व एवं प्रबंधन विद्यालय का होगा। स्कूलों साफ सफाई हेतु सफाई कर्मी अथवा हेल्पर भी कोई प्रदान करना चाहता हैं तो इस शर्त के साथ उपलब्ध करा सकता है कि विद्यालय की व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। इसी प्रकार अगर कोई स्मार्ट क्लास का निर्माण कराना चाहता है तो उसकी अनुमति प्रदान किये जाने पर विचार किया जा सकता हैं। इसी प्रकार यदि कोई प्राथमिक विद्यालय में स्वैच्छिक रूप से निःशुल्क अध्ययन सम्बन्धी सेवायें देना चाहता है तो उसे अनुमति दिये जाने पर इस शर्त के साथ विचार किया जा सकता है कि विद्यालय के पठन–पाठन/व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और स्कूल में निर्धारित पाठ्य–पुस्तक एवं विषय के अतिरिक्त किसी अन्य विषय यथा धार्मिक या राजनीतिक संवाद नहीं किया जायेगा।

(8) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ऐसे विद्यालयों का ही प्रस्ताव किया जायेगा, जो अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हो (साक्ष्य के रूप में विद्यालय परिसर की जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ रंगीन फोटो ग्राफ और उनके द्वारा विस्तृत सुविचारित प्रस्ताव विद्यालय के पुर्ननिर्माण/मरम्मत हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसे विद्यालय जिसमें पंचायत अथवा बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा धनराशि लगायी गयी है और उसका विस्तृत रूप से जीर्णोद्धार हो गया है, का प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नहीं प्रेषित किया जायेगा, लेकिन पूर्ण विकसित स्कूल को कोई ट्रस्ट,संस्था, व्यक्ति और मा0 जनप्रतिनिधिगण मॉडल स्कूल बनाने के उददेशय से गोद लेने चाहता है, तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

(9) जीर्णोद्धार करने वाली संस्था द्वारा विद्यालय अथवा विद्यालय से सम्बन्धित शैक्षिक/गैर शैक्षिक स्टाफ पर किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं होगा। निजी स्रोत/संस्था द्वारा मात्र विद्यालय के बच्चों को एक स्वच्छ, पूर्ण और विकसित माहौल देने के उद्देश्य से ही यह व्यवस्था लागू की जानी है। विद्यालय का मूल स्वरूप किसी भी दशा में प्रभावित न हो और इन विद्यालयों का उपयोग पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु मान्य नहीं होगा।

(10) शिक्षा अधिकार अधिनियम का उलंघन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

(11) किसी संस्था/ट्रस्ट/ मा0 जनप्रतिनिधिगण या व्यक्ति द्वारा विद्यालय को गोद लेने की इच्छा पर विद्यालय को गोद लेने के औचित्य सहित लिखित रूप से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अनुरोध पत्र प्रेषित किया जायेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षण के पश्चात प्रकरण को जनपद स्तरीय समिति के समक्ष रखा जायेगा। जनपद स्तरीय समिति निम्नवत होगी:–

1– जिलाधिकारी–	अध्यक्ष
2– मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3–जिला खेल कूद अधिकारी	सदस्य
4–प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
5–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

जनपद स्तरीय समिति के प्रस्ताव/ संस्तुति पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा। राज्य स्तरीय समिति का गठन निम्नवत होगा:–

Scanned with CamSc

1– महानिदेशक स्कूल शिक्षा — अध्यक्ष
2– शिक्षा निदेशक बेसिक — सदस्य
3–निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 — सदस्य
4– अपर परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान — सदस्य
5–निदेशक एम0डी0एम0 द्वारा नामित प्रतिनिधि — सदस्य
6– सचिव बेसिक शिक्षा परिषद — सदस्य
7– अपर शिक्षा निदेशक (शिविर), बेसिक शिक्षा निदेशलय लखनऊ — सदस्य
8–संयुक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक), बेसिक शिक्षा निदेशलय लखनऊ — सदस्य– सचिव

राज्य स्तरीय समिति के निर्णय के पश्चात जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा गोद लेने वाले व्यक्ति के पक्ष में समुचित आदेश निर्गत किये जायेगें।

(12) विद्यालय को गोद लेने वाली संस्था/व्यक्ति या अन्य सम्बन्धित द्वारा यदि किसी प्रकार से शर्तों या नियमों का विचलन किया जाता है तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए राज्य स्तरीय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर गोद लेने की अनुमति प्रदान किये जाने सम्बन्धी आदेश के प्रत्याहरण की कार्यवाही कर सकते है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीया

05/12/19

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
2– राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3– निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4– निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5– शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6– निदेशक साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7– सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज।
8– समस्त सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश।
9– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

Ra/Letter-1505.doc

Scanned with CamSc